ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना

--::ज्ञापन::--

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी (सीतामढ़ी) के कार्यालय के कार्यकलाप से संबंधित अभिलेखों की जाँच दिनांक 05.12.2024 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभग एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित साक्ष्य के आधार पर की गई।

2. जाँच प्रतिवेदनानुसार श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग निम्न आरोपों के लिए दोषी पाये गये :–

(1) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी अंतर्गत MMGSY (सामान्य) बड़की मिट्टा से उतरी टोला बड़की मिट्टा पथ निर्माण कार्य (एम0बी0–2794) योजना से संबंधित कुल 43 फर्जी चालान एवं राम इकबाल साह सिरानी से पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड सिरसी तक योजना से संबंधित फर्जी चालान को सही मानते हुए श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सत्यापन किया गया एवं भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी है। परिणामतः सरकार को वित्तीय क्षति हुई है। उनका यह कृत्य सरकारी राशि के गबन करने की मंशा को दर्शाता है।

(2) उक्त से स्पष्ट है कि श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है और न हीं वित्तीय नियमावली से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) के प्रतिकूल हैं।

3. उक्त तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है।

4. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर अपना स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत करें।

5. श्री सतीश कुमार को सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मदों के संबंध में स्पष्टीकरण उपर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।

कृपया इस ज्ञापन की प्रति स्वीकार की जाय।

Sd/- 29/4/25

(संजय कुमार)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–3/अ0प्र0–8–12/2024 पटना/दिनांक:–

प्रतिलिपि:– श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को आरोप पत्र तथा साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

SKumar
29/4/25
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–3/अ0प्र0–8–12/2024 4764 पटना/दिनांक:– 30.4.25

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

SKumar
29/4/25
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–3/अ0प्र0–8–12/2024 पटना/दिनांक:–

प्रतिलिपि:–अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को आरोप पत्र तथा साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस ज्ञापन की तामिला श्री सतीश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग से कराकर विभाग को सूचित करें।

SKumar
29/4/25
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in